(18)

समक्ष न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश

1- रामेश्वर प्रसाद तनय बृजकिशोर,

2- रामायण प्रसाद तनय रामेश्वर प्रसाद

3- कन्हैयालाल तनय रामेश्वर प्रसाद

सभी निवासी ग्राम रतहरा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

----- आवेदकगण

बनाम

1- श्री श्यामलाल उर्फ मिठाई लाल तनय हजारी पटेल निवासी ग्राम रतहरा तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

2- शासन म0प्र0

----- अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आज्ञा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा दिनांक- 17.1.97 प्रकरण क्र0 333/94-95 अन्तरगत धारा 50 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता सन् 1959 ई0.

मान्यवर,

निगरानी आवेदन पत्र नीचे लिखे अनुसार प्रस्तुत है:-

1- यह कि आवेदकगण ने प्रथम अपील में ही यह बिन्दु उठाया है कि अनावेदक क्रमांक 1 ने अनावेदक क्रमांक 2 को पक्षकार बनाकर धारा - 158(डी) के अनुसार 31.7.71 को भूमिस्वामी का आदेश कराया है जबकि निगरानीकर्ता के बाबा के नाम प्रकरण क्रमांक 451/54-55 दिनांक 14.10.57 को ही भूमिस्वामी दर्ज करने का एलाटमेन्ट हो चुका था ऐसी सूरत में तहसीलदार हुजूर का आदेश अधिकार क्षेत्र के बाहर होने से गल्ती था, क्योंकि निगरानीकर्तागणों के नाम उनके बाबा द्वारिका प्रसाद की मृत्यु ... में भी निगरानीकर्तागण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 118–तीन/1997 जिला –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16 –03–2017	आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0 वाजपेयी उपस्थित। अनावेदक अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 333/94–95 में पारित आदेश दिनांक 17.01.97 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क में बताया कि अनावेदक क्र0 1 ने अनावेदक क्र0 2 को पक्षकार बनाकर धारा 158(डी) के अनुसार 31.07.71 को भूमिस्वामी का आदेश कराया है जबकि निगरानीकर्ता के बाबा के नाम प्रकरण क्रमांक 451/54–55 दिनांक 14.10.57 को भी भूमिस्वामी दर्ज करने का एलाटमेन्ट हो चुका था, ऐसी सूरत में तहसीलदार हुजूर का आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर होने से नल्टी था, क्योंकि निगरानीकताओं के नाम उनके बाबा द्वारिका प्रसाद की मृत्यु दिनांक 09.04.73 होने के बाद व अधिकार अभिलेख में भी निगरानीकर्तागण भूमिस्वामी है। जब आदेश ही अधिकार क्षेत्र से बाहर था तो ऐसे आदेश का इत्तलायाबी के प्रकरण में उठाया जा सकता है व आवेदकगण ने यह वैधानिक बिन्दु उठाया है, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने नामांतरण होने के बावजूद भी यह कहकर निर्णय दिया है कि नामांतरण की कार्यवाही	

क्यों नहीं की गई । अधीनस्थ अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने सिर्फ अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखते हुये, अपना आदेश पारित किया है। जबकि द्वारिका प्रसाद राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी सक्षम न्यायालय में पूर्व से ही दर्ज है तथा आवेदक क्र0 1 को रजिस्टर्ड वसीयतनामा में भूमि क्रमांक 298/0.19 एकड़ वर्ष 1976 में ही दे दिया था, जिसका उनके मृत्यु वर्ष 1978 में हो जाने के बाद नामांतरण भी हो गया है और इसी आधार पर आवेदक क्र0 1 की आबादी निस्तार बहुत पुरानी है। अंत में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा इन सभी कारणों से अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश को निरस्त किये जाने एवं निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदक क्र0 1 के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

5/ उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 06.10.82 की छायाप्रति देखने से विदित होता है कि आवेदक क्रमांक 03 द्वारा किसी न्यायालय में जरिये पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 18.03.76 के आधार पर वादग्रस्त भूमि 297 व 295 का नामांतरण कराया गया है, जिसमें बटनवारा के रूप में हासिल होना बताया गया है। यदि आवेदक क्र0 3 ने प्रश्नाधीन भूमि 297 व 295 जरिये बटवारे की तो उसके पश्चात् पूर्व भूमिस्वामी द्वारा वर्ष 1976 में वसीयत किस वजह से उसी भूमि की कराई गई। पूर्व भूमिस्वामी द्वरिका प्रसाद की मृत्यु कब हुई, इसका प्रकरण में कोई प्रमाणीकरण नहीं है।

आवेदक का यह तर्क कि उसके बाबा स्व0 द्वरिका प्रसाद को अधीनस्थ तहसील न्यायालय में हितबद्ध पक्षकार नहीं बनाया गया है। यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है। क्योंकि अनावेदक क्र0 1 ने शासन के विरूद्ध तहसील न्यायालय में प्रकरण दायर कराया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ तहसील न्यायालय से वादग्रस्त भूमियों का भूमिस्वामी प्रभावित हुआ है, जिसमें जाहिर है कि भूमियां शासकीय थी। ऐसी स्थिति में आवेदक को हितबद्ध पक्षकार कैसे बनाया जा सकता है, उसके द्वारा यह साबित ही नहीं किया गया कि वह व उसके बाबा स्व0 द्वरिका प्रसाद हितबद्ध पक्षकार है। अतः तहसील न्यायालय ने अनावेदक क्र0 1 को भूमिस्वामी मानते हुये आदेश पारित किया है। जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी ने अपने विस्तृत आदेश में पूर्ण विवेचना कर की है एवं इसी आधार पर आवेदक के द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त किया है और अपर आयुक्त रीवा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के निर्णय को उचित ठहराया गया है।

6/ अतः उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से निरस्त की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय रीवा संभाग, रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.01.97 विधि एवं न्यायसंगत होने से यथावत रखा जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य